1 अक्टूबर, 2016 एवं उसके बाद हुए विवाह पंजीयन के लिए जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य

जयपुर, 27 सितम्बर। भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'विजन 2020' की घोषणा के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के परिपत्र के अनुसार जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाएगा।

नगर निगम आयुक्त श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि विजन 2020 की घोषणा की क्रियान्वित के क्रम में 1 अक्टूबर, 2016 एवं उसके बाद हुए विवाह पंजीयन के लिए जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।